न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 03 / 01 / 2025 दायर दिनांकः— 01 / 01 / 2025

जीसीएमएस न0ः— 2025 / 66 निर्णय दिनांकः— 28 / 10 / 2025

बउनवान

1. रामधन पुत्र बुद्वा जाति कुंमावत निवासी रानोली तहसील कठूमर।

——प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लेण्ड होल्डर तहसीलदार कठूमर।

————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—1.श्री घनश्याम शर्मा— अधिवक्ता प्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम रानोली तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकॉर्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उकत आराजी की सीमायें खुली होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा काश्त करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते रहते है तथा खेत की डौलों को तोड कर उकत आराजी की जमीन को अपने खेत में मिला लेते है पडौसी खातेदार जवरदस्त व लडाकू व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजी की मेडों को ट्रेक्टर से जोतकर व फावडों से काट कर उक्त आराजी की भूमि को अपनी आराजी में मिलाने की कोशिश करते है। मना करने पर झगडा करते है कुछ जमीन अपने खेतों में मिला भी ली प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिसको अप्रार्थी ने धीरे—धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर दिया है। एवं उस पर गढे पत्थरों को उखाडकर अपने खेत में मिलाकर कब्जा करने को उतारू है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईश करवा के बीच में डौर डाल देते है, तो अप्रार्थी ने पैमाईश के लिये भी मना कर दिया। जिस कारण प्रार्थी स्वयं के खेत खसरा नम्बर 96 की पैमाइश करा कर दोनों खेतों के मध्य पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइश कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल वाके ग्राम रानोली की पेश की है, एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 22.10.2024 पेश की जो शामिल पत्रावली है

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। मुताबिक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 96 ग्राम रानोली तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी इस आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उकत आराजी की सीमायें खुली होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थीयान को परेशान करते रहते है तथा काश्त करने में बाधा व व्यवधान पैदा करते रहते है तथा खेत की डौलों को तोड कर उकत आराजी की जमीन को अपने खेत में मिला लेते है प्रार्थी व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी, जिसको अप्रार्थी ने धीरे–धीरे बीच में स्थित मेड को खत्म कर पडोसी खातेदारों ने अपनी आराजी मे मिला लिया है। उसकी मेंड पर गडे पत्थरों को उखाडकर अपने खातेदारी के की आराजी में मिलाकर कब्जा बनाये हुये है।जो कि बिना किसी पैमाईश के है। प्रार्थी की जमीन को अपने हिस्से की आराजी में मिला ली है, जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइश कराने व सीमाज्ञान के पश्चात् पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम रानोली के खेत की चारों सीमायों के बीच विधि अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)